संख्या– 50/2021/268/छप्पन-2021-42/2008A(2)टी.सी.

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2021

विषय: कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन हेतु 12.203 है0 अर्थात् 30.14 एकड़ भूमि के क्रय में निहित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-508/ए0एस0-2020-19/84 दिनांक 02 फरवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन हेतु वांछित 12.203 है0 अर्थात् 30.14 एकड़ भूमि में से किसानों की 8.8340 है0 भूमि का क्रय आपसी समझौते की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने हेतु कुल धनराशि रू0 24,11,92,221/- (रुपया चौंबीस करोड़ ग्यारह लाख बयानवे हजार दो सौ इक्कीस मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, कुशीनगर के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015-215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 में भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में प्रशासनिक/विविध खर्च दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन हेतु वांछित 12.203 है0 अर्थात् 30.14 एकड़ भूमि में से किसानों की 8.8340 है0 भूमि का क्रय आपसी समझौते की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में कुल रू0 23,88,27,591/- (रूपए तेईस करोड़ अठ्ठासी लाख सत्ताइस हजार पॉच सौ इक्यानवे मात्र) **(जिसमें भूमि का मूल्य रू0 15,85,90,400/- + आवासीय/गैर आवासीय भवनों का मूल्यांकन रू0 7,78,72,561/- + निबन्धन शुल्क 1% रू0 23,64,623/- सम्मिलित है)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रय की जाने वाली भूमि को राजस्व अभिलेखों में **''श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ''** के नाम दर्ज किया जाए।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 23,88,27,591/- (रूपए तेईस करोड़ अठ्ठासी लाख सत्ताइस हजार पॉच सौ इक्यानवे मात्र) को तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, कुशीनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजीगत लेखा-"लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 560/दस-2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 50/2021/268(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

4- जिलाधिकारी, कुशीनगर।

5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, कुशीनगर।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।